बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अभियोजन स्वीकृत्यादेश

संख्या–नि0को0 नालन्दा–02–01/2018 – (नि0को0)/रा0, पटना–15, दिनांक–.....

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक–284/अप0शा0 दिनांक–23.01.2018 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–115/2017 दिनांक–20.12.2017 एवं इसके साथ संलग्न कागजातों में अंकित साक्ष्यों के परिशीलन के बाद प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह सामाधान हो गया है कि आलोच्य निगरानी थाना कांड में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व अधिकारी संवर्ग के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त श्री सुबोध कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा, नालन्दा के विरूद्ध धारा–7/13 (2)–सह–पठित धारा–13 (1) (डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 के अधीन अभियोजन के लिए प्रथम द्रष्टव्या मामला बनता है और चूँकि भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के बिना, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध जो प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंजूरी से ही पद से हटाये जा सकते हैं, किसी ऐसे अपराध की जो उसके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया गया है, अभियुक्त हो, संज्ञान नहीं ले सकता है।

और चूँकि श्री सुबोध कुमार, ऐसे लोक सेवक हैं, जिन्हें प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मंजूरी से सेवा से हटाया जा सकता है और यह अभिकथित है कि इन्होंने अपराध अपने कर्त्तव्यों के निर्वाहन में कार्य करते या कार्य करने का तात्पर्य रखते हुए किया है।

इसलिए मैं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एतद् द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा–7/13 (2) सह–पठित धारा–13 (1) (डी0) भ्र0नि0अधि0 1988 के अधीन आरोपों के लिए श्री सुबोध कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, हिलसा, नालन्दा के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–नि0को0 नालन्दा–02–01/2018 – (नि0को0)/रा0, पटना–15 दिनांक–

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–284 दिनांक–23.01.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

फैक्स/
ई–मेल ✓

ज्ञापांक–नि0को0 नालन्दा–02–01/2018 – 114 (नि0को0)/रा0, पटना–15 दिनांक–09-02-18

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/समाहर्त्ता, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव।

D:\jiten\Nigrani\2018\Abhiyogan\Subodh kr. Hilsa.docLast printed 2/9/2018 3:16:00 PM